

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- एफ.10(37)आयु./2018 पार्ट-4

जयपुर, दिनांक:- 05.10.2020

—:: आदेश ::—

बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में की गई घोषणा के अन्तर्गत नवीन यूनवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकडी, जिला- अजमेर में संचालित चिकित्सालयों में निम्नांकित वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II को प्रतिनियुक्ति/कार्य व्यवस्थार्थ पर तत्काल प्रभाव से लगाया जाता है :-

क्र.सं.	नाम मय पदनाम	कहां से	कहां को
1.	डॉ. अखिलेश कुमार धानका वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय गांधीनगर, भीलवाडा।	यूनवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकडी, जिला-अजमेर
2.	डॉ. सुरेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय मालवीय नगर, जयपुर।	यूनवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकडी, जिला-अजमेर
3.	डॉ. विनय जैन वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, ब्यावर, अजमेर।	यूनवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकडी, जिला-अजमेर
4.	डॉ. राजुल मेडतवाल, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खिदरपुर-अलवर।	यूनवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकडी, जिला-अजमेर

नोट:-

1. उक्त का वेतन विभाग के रिक्त पदों के विरुद्ध आहरित किया जायेगा।
2. उक्त को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
3. वर्तमान में पंचायती राज चुनाव के मध्यनजर उक्त जिले में पंचायती राज चुनाव-2020 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हैं, तो वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

आज्ञा से,
एस.डी.
(आर.पी.चतुर्वेदी)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2020/6029-41

दिनांक:- 8/10/2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ. 10(37) आयु./2018 पार्ट-4 दिनांक 05.10.2020 एवं समसंख्यक शुद्धि आदेश दिनांक 08.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ।

4. यूनवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केंकडी, जिला-अजमेर।
5. प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, गांधीनगर, भीलवाडा/मालवीय नगर, जयपुर/ब्यावर, अजमेर/खिदरपुर-अलवर।
6. संबन्धित, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, डॉ. अखिलेश कुमार धानका/डॉ. सुरेश कुमार वर्मा/डॉ. विनय जैन/डॉ. राजुल मेडतवाल को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की तत्काल नवीन प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ स्थान यूनवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केंकडी जिला अजमेर में कार्यग्रहण कर तत्काल इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
7. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को ई-मेल कर सूचित करे।
8. कार्यालय की लेखा शाखा/कैश शाखा/विधि शाखा/सामान्य शाखा/स्टोर शाखा।
9. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक